रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज़
REGIONAL INSTITUTE OF PARAMEDICAL AND NURSING SCIENCES
(स्वायत संस्थान, अधीनस्थ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)
(An autonomous Institute under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India)
RIPANS
website: www.ripans.ac.in
ज़ेमाबोक, आइज़ोल, मिज़ौरम – 796017
Zemabawk, Aizawl, Mizoram – 796017
Phone: 0389-2350521
e-mail: admin@ripans.ac.in

OFFICE MEMORANDUM

Dated Aizawl, the 16th April, 2025.

No. A.12018/2/2025-Esttt/RIPANS/44 : This is for information to all concerned that the Recruitment Rules of Non Faculty Posts i.e. Demonstrator (Nursing, Pharmacy, MLT, RIT and Optometry)at Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, Mizoram has been notified in the Gazette of India on dated 11th April, 2025 and uploaded in the Institute website.

Sd/-डॉ. संजय डी. सावंत/Dr. SANJAY D. SAWANT
निर्देशक/Director
रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल/Regional Institute of Paramedical
& नर्सिंग साइंसेज़ /Nursing Sciences
आइज़ोल : मिज़ौरम/Aizawl:Mizoram

Memo No A.12018/2/2025-Esttt/RIPANS/44 -A Dated Aizawl, the 16th April, 2025.
Copy to:-

1. The Under Secretary, Hospital Section-III, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India, Nirman Bhawan, New Delhi, for information.
2. Principal (N)/All HoDs, RIPANS for information.
3. Deputy Director (Admin), RIPANS for information.
4. AO/AAO(Accts)/Officer i/c T&P/officer i/c Academic, RIPANS for information.
5. Computer Centre, RIPANS for information with a request to upload in the institute website.
6. Office Guard File.

16/4/25

(डॉ. संजय डी. सावंत/Dr. SANJAY D. SAWANT)
निर्देशक/Director
रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल/Regional Institute of Paramedical
& नर्सिंग साइंसेज़ /Nursing Sciences
आइज़ोल : मिज़ौरम/Aizawl:Mizoram

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.जेड.-अ.-15042025-262444
CG-MZ-E-15042025-262444

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2025/चैत्र 21, 1947
No. 295] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2025/CHAITRA 21, 1947

रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज़

आइज़ोल, मिज़ोरम

अधिसूचना

आइज़ोल, 12 नवंबर, 2024

No.A.12018/2/2024-Estt/RIPANS/218—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या U.12012/57/2022-NE-Part (12) दिनांक 20.11.2023 द्वारा अनुमोदित के रूप में, राष्ट्रपति एतद्वारा रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज़, आइज़ोल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान में, नर्सिंग, फार्मेसी, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, रेडियो इमेजिंग प्रौद्योगिकी और ऑप्टोमेट्री विभागों में प्रदर्शक के पद की भर्ती की विधि को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं, , अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: -**

1.1. इन नियमों को ग्रुप बी नॉन फैकल्टी पदों (प्रदर्शक), रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज़, आइज़ोल, **मिज़ोरम**, 2023 के भर्ती नियम कहा जाएँगे।

1.2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पे मैट्रिक्स में पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर: -**

पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में संलग्न स्तर अनुसूची I में निहित संबंधित पदों में निर्दिष्ट होगा। ग्रुप बी के रूप में पदों का वर्गीकरण केंद्र सरकार के वेतन स्तर में समान श्रेणियों के अनुरूप होगा।

3. भर्ती मानदंड: -

3.1 सभी पदों के लिए अनुसूची I में निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। रिपन्स के संबंध में संकाय के हित के संबंधित क्षेत्रों में शैक्षिक योग्यता के लिए निर्दिष्ट विषय, संबंधित पद के लिए आवश्यक है, जो पदों को विज्ञापित करने से पहले अनुसूची I में दिया गया है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और विनियमन सांविधिक निकायों, जैसा भी मामला हो, की शैक्षिक योग्यता केवल स्वीकार की जाएगी। शैक्षिक योग्यता के संबंध में किसी भी संदेह के मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

3.2 सभी पदों के लिए आवश्यक अनुभव अनुसूची I में निर्दिष्ट के रूप में होगा। पद के लिए आवश्यक अनुभव का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

3.3 जब कभी पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो तो इन पदों को रिपन्स की वेबसाइट और समाचार पत्रों पर ऐसे उपयुक्त तरीकों से विज्ञापित किया जाएगा जिन्हें संस्थान प्राधिकारी उचित समझे। बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने के मामले में, निदेशक एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर सकते हैं, जो उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करेगी।

3.4 सीधी भर्ती के मामले में, चयन समिति द्वारा निर्धारित विभिन्न मापदंडों के लिए विशिष्ट अंक देकर चयन पारदर्शी होगा, पद के लिए नौकरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति सभी पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार आयोजित करेगी, जैसा कि आवश्यक हो सकता है।

3.5 पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दूर होने के कारण होने वाली रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध पर भरा जा सकता है।

4. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा: -

4.1 पद की प्रत्येक श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा अनुसूची I में निर्दिष्ट के रूप में होगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों आदि के संबंध में ऊपरी आयु सीमा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार छूट दी जाएगी।

जब तक अन्यथा भर्ती नियमों में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, केंद्र / राज्य सरकार और केंद्र और राज्य सरकारों के स्वायत्त संस्थानों में सेवारत कर्मियों के लिए 5 वर्ष की आयु छूट की अनुमति दी जाएगी।

4.2 आयु सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

5. भर्ती की विधि:

5.1 उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यता और अन्य मामलों को उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में निर्दिष्ट किया जाएगा।

5.2 सीधी भर्ती के मामले में, चयनित उम्मीदवार, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अनुसूची I में निर्दिष्ट न्यूनतम अवधि के लिए शुरू में परिवीक्षा पर होंगे। परिवीक्षा अवधि के अंत में, उम्मीदवार के प्रदर्शन का मूल्यांकन संस्थान के प्राधिकरण द्वारा यह तय करने के लिए किया जाएगा कि परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवार का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है या नहीं। यदि उसका प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाता है, तो उसे परिवीक्षा के पूरा होने पर नियमित नियुक्ति के लिए पुष्टि की जाएगी।

5.3 अनुसूची-I में यथा विनिदष्ट न्यूनतम अर्हता और अनुभव रखने वाले उम्मीदवार के अध्यधीन, अन्य केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के उम्मीदवारों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे निदेशक द्वारा ऋणदात्री विभाग की सहमति लेकर सेवा की अत्यावश्यकताओं में पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

6. अपात्रता: -

कोई व्यक्ति:

क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंधित किया है जिसका जीवनसाथी जीवित है, या

ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, जिसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है,

उक्त पदों में से किसी में नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा;

बशर्ते कि रिपन्स संतुष्ट हो सकता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दी जा सकती है।

7. **व्याख्या: -**

जहां इन नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध के निर्वचन के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है वहां मामला नियुक्ति प्राधिकारी को निर्देशित किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

8. **छूट देने की शक्ति: -**

जहां रिपन्स की विधिवत गठित चयन समिति की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अनुसूची-I में उल्लिखित पदों की किसी श्रेणी या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में छूट दी जा सकती है। यह नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगा।

9. **बचत: -**

इन नियमों में कुछ भी आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा जो इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों से संबंधित उम्मीदवारों को प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक हैं। पहले भरे गए पद इन भर्ती नियमों से प्रभावित नहीं होंगे, जिन्हें अब अधिसूचित किया जा रहा है। विभिन्न पदों से संबंधित नौकरी विवरण रिपन्स द्वारा कार्यालय आदेश के रूप में अलग से जारी किया जाएगा।

रिपन्स, आइज़ोल में प्रदर्शक (नर्सिंग) के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	प्रदर्शक (नर्सिंग)
2.	पदों की संख्या	03*(2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन।
3.	वर्गीकरण	ग्रुप 'बी'
4.	वेतनमान	पे मैट्रिक्स में स्तर 6
5.	यदी चयन पद हैं या गैर-चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं नोट: केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार छूट
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अन्य योग्यताएं	**सर्वथा अपेक्षित:** आईएनसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बीएससी (नर्सिंग) **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री
8.	यदी सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 (दो) वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति, यदी सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ /स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती द्वारा

11.	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जहां से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अवशोषण किया जाना है	लागू नहीं
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है?	1. निदेशक, रिपन्स - अध्यक्ष 2. लाभार्थी राज्यों से स्वास्थ्य सेवा निदेशक के प्रतिनिधि जो उप निदेशक के पद से नीचे के न हों (रोटेशन द्वारा) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव (एनई), एमएच एंड एफडब्ल्यू, भारत सरकार के प्रतिनिधि जो अवर सचिव के पद से नीचे नहीं हैं - सदस्य 4. संबंधित विषय में एक सहयोजित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य - सदस्य* 6. प्रशासनिक अधिकारी, रिपन्स (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में यूपीएससी से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

रिपन्स, आइज़ोल में प्रदर्शक (फार्मेसी) के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	प्रदर्शक (फार्मेसी)
2.	पदों की संख्या	02*(2023) * कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन।
3.	वर्गीकरण	ग्रुप 'बी'
4.	वेतनमान	पे मैट्रिक्स में स्तर 6
5.	यदी चयन पद हैं या गैर-चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं नोट: केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार छूट
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अन्य योग्यताएं	**सर्वथा अपेक्षित:** मान्यता प्राप्त संस्थान से बी. फार्मा या केंद्रीय/राज्य संस्थान में 5 साल के अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा (डी.फार्मा) **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री
8.	यदी सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 (दो) वर्ष

10.	भर्ती की पद्धति, यदी सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती द्वारा
11.	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जहां से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अवशोषण किया जाना है	लागू नहीं
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है?	1. निदेशक, रिपन्स - अध्यक्ष 2. लाभार्थी राज्यों से स्वास्थ्य सेवा निदेशक के प्रतिनिधि जो उप निदेशक के पद से नीचे के न हों (रोटेशन द्वारा) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव (एनई), एमएच एंड एफडब्ल्यू, भारत सरकार के प्रतिनिधि जो अवर सचिव के पद से नीचे नहीं हैं - सदस्य 4. संबंधित विषय में एक सहयोजित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य - सदस्य* 6. प्रशासनिक अधिकारी, रिपन्स (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में यूपीएससी से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

रिपन्स, आइज़ोल में प्रदर्शक (एमएलटी) के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	प्रदर्शक (एमएलटी)
2.	पदों की संख्या	03*(2023) * कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन।
3.	वर्गीकरण	ग्रुप 'बी'
4.	वेतनमान	पे मैट्रिक्स में स्तर 6
5.	यदी चयन पद हैं या गैर-चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं नोट: केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार छूट
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अन्य योग्यताएं	**सर्वथा अपेक्षित:** बीएससी (एमएलटी) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री
8.	यदी सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 (दो) वर्ष सीधी भर्ती के लिए

10.	भर्ती की पद्धति, यदी सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति में असफल होने से सीधी भर्ती द्वारा
11.	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जहां से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अवशोषण किया जाना है	**पदोन्नति:** एमएलटी में प्रयोगशाला तकनीशियन की ग्रेड में 5 (पांच) साल की नियमित सेवा के साथ
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है?	1. निदेशक, रिपन्स - अध्यक्ष 2. लाभार्थी राज्यों से स्वास्थ्य सेवा निदेशक के प्रतिनिधि जो उप निदेशक के पद से नीचे के न हों (रोटेशन द्वारा) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव (एनई), एमएच एंड एफडब्ल्यू, भारत सरकार के प्रतिनिधि जो अवर सचिव के पद से नीचे नहीं हैं - सदस्य 4. संबंधित विषय में एक सहयोजित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य - सदस्य* 6. प्रशासनिक अधिकारी, रिपन्स (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में यूपीएससी से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

रिपन्स, आइज़ोल में प्रदर्शक (आरआईटी) के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	प्रदर्शक (आरआईटी)
2.	पदों की संख्या	04*(2023) * कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन।
3.	वर्गीकरण	ग्रुप 'बी'
4.	वेतनमान	पे मैट्रिक्स में स्तर 6
5.	यदी चयन पद हैं या गैर-चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं नोट: केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार छूट
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अन्य योग्यताएं	**सर्वथा अपेक्षित:** बीएससी (आरआईटी) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री
8.	यदी सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 (दो) वर्ष

10.	भर्ती की पद्धति, यदी सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती द्वारा
11.	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जहां से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अवशोषण किया जाना है	लागू नहीं
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है?	1. निदेशक, रिपन्स - अध्यक्ष 2. लाभार्थी राज्यों से स्वास्थ्य सेवा निदेशक के प्रतिनिधि जो उप निदेशक के पद से नीचे के न हों (रोटेशन द्वारा) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव (एनई), एमएच एंड एफडब्ल्यू, भारत सरकार के प्रतिनिधि जो अवर सचिव के पद से नीचे नहीं हैं - सदस्य 4. संबंधित विषय में एक सहयोजित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य - सदस्य* 6. प्रशासनिक अधिकारी, रिपन्स (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में यूपीएससी से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

रिपन्स, आइज़ोल में प्रदर्शक (ऑप्टोमेट्री) के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	प्रदर्शक (ऑप्टोमेट्री)
2.	पदों की संख्या	03*(2023) * कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन।
3.	वर्गीकरण	ग्रुप 'बी'
4.	वेतनमान	पे मैट्रिक्स में स्तर 6
5.	यदी चयन पद हैं या गैर-चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं नोट: केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार छूट
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अन्य योग्यताएं	**सर्वथा अपेक्षित:** किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी/बी.ऑप्टोमेट्री **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री
8.	यदी सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 (दो) वर्ष

10.	भर्ती की पद्धति, यदी सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती द्वारा
11.	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जहां से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अवशोषण किया जाना है	लागू नहीं
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है?	1. निदेशक, रिपन्स - अध्यक्ष 2. लाभार्थी राज्यों से स्वास्थ्य सेवा निदेशक के प्रतिनिधि जो उप निदेशक के पद से नीचे के न हों (रोटेशन द्वारा) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव (एनई), एमएच एंड एफडब्ल्यू, भारत सरकार के प्रतिनिधि जो अवर सचिव के पद से नीचे नहीं हैं - सदस्य 4. संबंधित विषय में एक सहयोजित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य - सदस्य* 6. प्रशासनिक अधिकारी, रिपन्स (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में यूपीएससी से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

डॉ. संजय डी. सावंत, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./27/2025-26]

REGIONAL INSTITUTE OF PARAMEDICAL AND NURSING SCIENCES

AIZAWL, MIZORAM

NOTIFICATION

Aizawl, the 12th November, 2024

No.A.12018/2/2024-Estt/RIPANS/218—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and as approved by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India vide Letter No.U.12012/57/2022-NE-Part (12) dated 20.11.2023, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment of the post of Demonstrator in the Department of Nursing, Pharmacy, Medical Laboratory Technology, Radio Imaging Technology and Optometry in Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, an Autonomous Institute under the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, namely:-

1. Short Title and commencement: -

1.1. These rules may be called the Recruitment Rules of Group B Non Faculty Posts (Demonstrator), Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, Mizoram, 2023.

1.2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The number of posts, classification and level in the Pay Matrix: -

The number of posts, its classification and the level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in respective posts as contained in Schedule I. The classification of posts as Group B will correspond to similar categories in the Pay Level of Central Government.

3. Recruitment Norms: -

3.1 The minimum educational qualification for all the posts shall be as specified in Schedule I. The specified discipline for educational qualification in related areas of interest of the faculty in respect of RIPANS, required for the post concerned, will be as given in Schedule I, before the posts are advertised. Educational qualifications of recognized University and regulating Statutory Bodies, as the case may be, will only be accepted. In case of any doubt regarding educational qualification, the decision of Appointing Authority will be final and binding.

3.2 The experience required for all the posts shall as specified in Schedule I. The crucial date for determining the experience required for the post shall be the closing date for receipt of application from candidates.

3.3 Recruitment shall be made by direct recruitment, as prescribed in Schedule I. Whenever the posts are to be filled up by direct recruitment, the posts shall be advertised in the website of RIPANS and newspapers by such appropriate methods as the Institute authority deems fit. In case of receipt of large number of applications, the Director may constitute a Screening Committee, which will short-list the candidates.

3.4 In case of direct recruitment, the selection shall be transparent by giving specific marks for various parameters decided by the Selection Committee, keeping in view the job requirement for the post. The Selection Committee as constituted by competent authority will hold interviews of the all-eligible candidates, as may be required.

3.5 Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances, for duration of one year or more, can be filled on deputation/short term contract.

4. Age limit for direct recruitments: -

4.1 The upper age limit for direct recruitment in each category of post shall be as specified in Schedule I. The upper age limit in respect of Schedule Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and the other special categories of persons etc, shall be relaxable in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

Unless otherwise specified in the Recruitment Rules, age relaxation of 5 years will be allowed for personnel serving in Central/State Government and Autonomous Institutions of Central & State Governments.

4.2 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates.

5. Method of Recruitment:

5.1 The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in column 5 to 13 of the said Schedule.

5.2 In case of direct recruitment, the selected candidates, from the date of assuming the duties will be on probation initially for a minimum period as specified in Schedule I. At the end of probation period, the candidate's performance will be assessed by the Institute authority to decide if the candidate's performance during the probation period has been satisfactory or otherwise. If his/her performance is found to be satisfactory, he/she will be confirmed for regular appointment on completion of probation.

5.3 Subject to the candidate having minimum qualification and experience as specified in Schedule I, candidates from other Central Government/State Government can be taken on deputation basis. The period of deputation shall be for a period of three years which may be extended by the Director up to five years in the exigencies of service taking the consent of the lending department.

6. Disqualification: -

No person:

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered in or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that RIPANS may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Interpretation: -

Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to Appointing Authority whose decision shall be final.

8. Power to relax: -

Where the duly constituted Selection Committee of RIPANS is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of posts mentioned in Schedule I. This will be subject to acceptance of the Appointing Authority.

9. Saving: -

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. The posts filled earlier will not be affected by these Recruitment Rules, which are being notified now. The job descriptions pertaining to various posts would be issued separately by RIPANS as an Office Order.

Recruitment Rules for the post of Demonstrator (Nursing) in RIPANS, Aizawl

1.	Name of post	Demonstrator (Nursing)
2.	No. of posts	03*(2023) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	Group 'B'
4.	Scale of Pay	Level 6 in the Pay Matrix
5.	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits.	Not exceeding 30 years Note: Relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruits	**Essential:** B.Sc (Nursing) from INC recognized University/Institute **Desirable:** Master's Degree in the concerned subject from a recognized University
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable
9.	Period of probation if any	2 (Two) years
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By Direct Recruitment
11.	In case of Recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	Not Applicable
12.	If Departmental Promotion Committee/Selection committee exist, what is its composition?	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy.Director (By Rotation) - Member 3. Representative of Jt. Secy. (NE), MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not applicable

Recruitment Rules for the post of Demonstrator (Pharmacy) in RIPANS, Aizawl

1.	Name of post	Demonstrator (Pharmacy)
2.	No. of posts	02*(2023) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	Group 'B'
4.	Scale of Pay	Level 6 in the Pay Matrix
5.	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits.	Not exceeding 30 years Note: Relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruits	**Essential:** B.Pharm from recognized Institution Or Diploma in Pharmacy (D.Pharm) from recognized institute with 5 years experience in Central/State Institution **Desirable:** Master's Degree in the concerned subject from a recognized University
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable
9.	Period of probation if any	2 (Two) years
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By Direct Recruitment
11.	In case of Recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	Not Applicable
12.	If Departmental Promotion Committee/Selection committee exist, what is its composition?	1.Director - Chairman 2.Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy.Director (By Rotation) – Member 3.Representative of Jt.Secy.(NE), MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy - Member 4.One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy. (* To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not applicable

Recruitment Rules for the post of Demonstrator (MLT) in RIPANS, Aizawl

1.	Name of post	Demonstrator (MLT)
2.	No. of posts	03*(2023) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	Group 'B'
4.	Scale of Pay	Level 6 in the Pay Matrix

5.	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits.	Not exceeding 30 years Note: Relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruits	**Essential:** B.Sc (MLT) from a recognized University/Institute **Desirable:** Master's Degree in the concerned subject from a recognized University
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable
9.	Period of probation if any	2 (Two) years for direct recruit
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion failing which by Direct Recruitment
11.	In case of Recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	**Promotion:** From laboratory Technician in MLT with 5(Five) years regular service in the grade
12.	If Departmental Promotion Committee/Selection committee exist, what is its composition?	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy.Director (By Rotation) - Member 3. Representative of Jt. Secy. (NE), MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not applicable

Recruitment Rules for the post of Demonstrator (RIT) in RIPANS, Aizawl

1.	Name of post	Demonstrator (RIT)
2.	No. of posts	04*(2023) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	Group 'B'
4.	Scale of Pay	Level 6 in the Pay Matrix
5.	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits.	Not exceeding 30 years Note: Relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government

7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruits	**Essential:** B.Sc (RIT) from a recognized Institute **Desirable:** Master's Degree in the concerned subject from a recognized University
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable
9.	Period of probation if any	2 (Two) years
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By Direct Recruitment
11.	In case of Recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	Not Applicable
12.	If Departmental Promotion Committee/Selection committee exist, what is its composition?	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy.Director (By Rotation) - Member 3. Representative of Jt. Secy. (NE), MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not applicable

Recruitment Rules for the post of Demonstrator (Optometry) in RIPANS, Aizawl

1.	Name of post	Demonstrator (Optometry)
2.	No. of posts	03*(2023) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	Group 'B'
4.	Scale of Pay	Level 6 in the Pay Matrix
5.	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits.	Not exceeding 30 years Note: Relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruits	**Essential:** B.Sc (Optometry/B.Optometry) from a recognized Institute **Desirable:** Master's Degree in the concerned subject from a recognized University

8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable
9.	Period of probation if any	2 (Two) years
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By Direct Recruitment
11.	In case of Recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	Not Applicable
12.	If Departmental Promotion Committee/Selection committee exist, what is its composition?	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy.Director (By Rotation) - Member 3. Representative of Jt. Secy. (NE), MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not applicable

Dr. SANJAY D. SAWANT, Director

[ADVT.-III/4/Exty./27/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.